



क.रा.बी.नि  
E.S.I.C

தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகம்  
(தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்புத்துறை  
அமைச்சகம், இந்திய அரசு)  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)



மண்டல அலுவலகம் / क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office  
143, ஸ்டெர்லிங் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை -600034.  
143, स्टर्लिंग रोड, नुंगमबाक्कम, चेन्नै - 600034.  
143, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai - 600034.  
Phone: 28306300 (100 Lines) E-mail: [rd-tamilnadu@esic.nic.in](mailto:rd-tamilnadu@esic.nic.in)  
Website: [www.esic.nic.in/](http://www.esic.nic.in/) [www.esic.in](http://www.esic.in)

सं. No.A-SR/28/2024-ADMN

दिनांक Date: .02.2025

## परिपत्र CIRCULAR

विषय: शक्तियों का प्रतिनिधित्व LTC/अवकाश/वेतन निर्धारण— संदर्भ

Sub: Delegation of powers LTC/Leave/Pay fixation— Reg.

\*\*\*\*\*

कैश शाखा ई-फाइल संख्या.CR-10/7/2025-कैश(कंप संख्या.1104571) में नोट 23 और 34 के संदर्भ में, मुख्यालय के पत्र संख्या.A-38/15/2005-MSU दिनांक 20.1.2005 के अनुसार, स्वीकृति प्राधिकरण के विवरण निम्नलिखित हैं :-

With reference to Note #23 and #34 in the Cash branch E-file No.CR-10/7/2025-Cash (Comp No.1104571), as per power delegated vide Headquarters letter No.A-38/15/2005-MSU dated 20.1.2005 the details of Sanctioning Authority is as below:-

क्रम संख्या S.No	शक्तियों का विवरण Description of powers	क्षेत्रीय निदेशक को सौंपा गया शक्ति Power Delegated to RD's	संयुक्त निदेशक को सौंपा गया शक्ति Power Delegated to JD's	उप निदेशक/ सहायक निदेशक को सौंपा गया शक्ति Power Delegated to DD's/AD's
बी/15  B/15	छुट्टी की रियायत की अनुमति देने के लिए  To allow Leave Travel Concession	मुख्यालय द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार विश्राम सहित पूर्ण शक्तियां  Full powers including relaxation in accordance with guidelines by Hqrts	मुख्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार उप निदेशक तक पूर्ण शक्तियां जहां नियमों की कोई छूट शामिल नहीं है  Full powers upto Deputy Director in accordance with Hqrts guidelines where no relaxation of Rules is involved	ग्रुप सी और ग्रुप डी तक पूर्ण शक्तियां मुख्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार जहां नियमों की कोई छूट शामिल नहीं है  Full powers upto Group C and Group D in accordance with Hqrts guidelines where no relaxation of Rules is involved
ए/8	सभी प्रकार की छुट्टी देने के लिए	ए]"A" और "B" अधिकारियों को समूह करने के लिए 90 दिनों की अवधि तक जहां कोई भी व्यवस्था करने वाली व्यवस्था शामिल नहीं है बी] "सी" और "डी" कर्मचारियों को समूह को छुट्टी देने के लिए पूर्ण शक्तियां	ए] ए" और "बी" अधिकारियों को समूह करने के लिए 60 दिनों की अवधि तक जहां कोई भी व्यवस्था करने वाली व्यवस्था शामिल नहीं है बी] "सी" और "डी" कर्मचारियों को समूह को छुट्टी देने के लिए पूर्ण शक्तियां	"सी" और "डी" कर्मचारियों को समूह को छुट्टी देने के लिए पूर्ण शक्तियां

A/8	To grant leave of all kinds	A] Upto a period of 90 days to Group "A" & "B" Officers where no officiating arrangement is involved.  B] Full powers to grant leave to Group "C" & "D" employees	A] Upto a period of 60 days to Group "A" & "B" Officers where no officiating arrangement is involved.  B] Full powers to grant leave to Group "C" & "D" employees	Full powers to grant leave to Group "C" & "D" employees
ए/12	वृद्धि की ओर असाधारण छुट्टी की गिनती की अनुमति देने के लिए	अधिकारियों के संबंध में पूरी शक्तियां जिनके लिए वह छुट्टी देने के लिए सक्षम हैं।	समूह "सी" और "डी" कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियां	समूह "सी" और "डी" कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियां
A/12	To permit counting of extraordinary leave toward increment	Full powers in respect of officers for whom he is Competent to grant leave.	Full powers in r/o Group "C" & "D" employees	Full powers in r/o Group "C" & "D" employees
बी/3	वेतन निर्धारण	एफआर और एसआर के प्रावधानों के अनुसार जीआर "ए" और "बी" कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियां	FR & SR के प्रावधान के अनुसार और Fin & A/CS के परामर्श के अनुसार पदोन्नति पर समूह "C" और "D" कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियां	FR & SR के प्रावधान के अनुसार और Fin & A/CS के परामर्श के अनुसार पदोन्नति पर समूह "C" और "D" कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियां
B/3	Fixation of Pay	Full powers in respect of all employees except Gr "A" and "B" employees in accordance with the provisions of FR & SR	Full powers in r/o Group "C" & "D" employees on promotion in accordance with the provision of FR & SR and in consultation with Fin & A/cs	Full powers in r/o Group "C" & "D" employees on promotion in accordance with the provision of FR & SR and in consultation with Fin & A/cs

किसी भी अन्य मंजूरी/अनुमोदन के लिए उपरोक्त उद्धृत मुख्यालय शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल को संदर्भित किया जा सकता है।

For any other further sanction/approval the above cited Headquarters Delegation of Powers may be referred.

Digitally signed by

LALI RAJKUMAR

Date: 20-02-2025

16:27:19  
उप निदेशक Dy. Director (प्रशा. Admn. )

कृते अ.आ. एवं क्षे.नि. For AC & RD

सेवा में To: क्षे.का.चेन्नै के सभी शाखा अधिकारी, शाखाएं All Branch Officers, Branches at R.O. Chennai.

चेन्नै के सभी शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय All Branch Managers, Branch Offices, Chennai